

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प देसूरी

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता/खसरा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी घाणोराव व भू.अ.नि. देसूरी की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार देसूरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम घाणोराव तहसील देसूरी जिला पाली की जमाबंदी संवत् में खाता/खसरा संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.स.	ग्राम	खाता/खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1.	<u>घाणोराव</u>	225	225 व <u>225</u> 1 गलत तरीक़ों की प्रविष्टि	225 व <u>225</u> 1 पटवारी व भू.अ.नि. के संलग्न रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किया जाना।

देसूरी
16.5.2024

(सहायक कलेक्टर
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर

क्रमांक :- 1/कोर्ट/1-4

दिनांक :- 16/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेज कर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री रमेश कुमार पुत्र उमर मल को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।
4. पटवारी हल्का घाणोराव

देसूरी
16.5.2024

(सहायक कलेक्टर
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.



08/11/24

जिसे 57 है कि प्रार्थी द्वारा दावे किए गए नं. 225-226-0.078 है. लक) ख. नं. 225/1
 226-0.018 है. जो कि ग्राह-आवेदक के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में 2019 की श्रुति दर्ज है
 इन्त दोनो ख. न. राजस्व रेकर्ड (जमा केस) के नंबर 211 में सही दर्ज है फरक्यु डॉक्यूमेंट
 2-नम 211 पर देयने पर उक्त दोनो ख. न. (क) अर्थात् पक दुकरे के अक्षर है
 जिले ऑनलाईन 2-नम 211 पर सही दिशा-नाम का 225 व 226 है। नम 211-
 नम 211 निम्नानुसार है -

शुद्ध
 (online 2-नम 211 पर)



शुद्ध (225 व 226 के कुल)



रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

हल्का पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खातेदार का भू नक्शा साईट में वर्तमान तरमीन (गलत तरमीन) का शुद्ध करना उचित है।

[Signature]
 तहसीलदार-देसूरी
 जिला-पाली, राजस्थान

आदेश

पटवारी हल्का [Signature] / भू.अ.निरीक्षक [Signature] / तहसीलदार-देसूरी की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के अनुसरण में प्रार्थी के खातेदार का भू नक्शा साईट में वर्तमान तरमीन (गलत तरमीन) का शुद्ध करदुरस्त किया जाना प्रतित होता है।

अतः आदेश जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर कम हो।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी-देसूरी
 जिला-पाली, राजस्थान
 (प्र. व. जे.) देसूरी (पल्ले)